

विहंगावलोकन

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष हेतु जनरल एवं सोशल सेक्टर पर आधारित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में शासन के चयनित कार्यक्रमों एवं विभागों/स्वायत निकायों तथा समितियों इत्यादि की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं वित्तीय लेनदेनों पर आधारित निष्कर्ष सम्मिलित हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है:

1. निष्पादन लेखापरीक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित किए जाने हेतु की जाती है कि शासन के कार्यक्रमों के उद्देश्यों की प्राप्ति न्यूनतम लागत पर हुई थी एवं अपेक्षित लाभ लक्षित लाभार्थियों को प्राप्त हुआ था।

1.1 बाढ़ नियंत्रण

उत्तर प्रदेश राज्य के 240.93 लाख हेक्टेयर आच्छादित क्षेत्रफल में सात नदी—घाटियाँ यथा गंगा, गण्डक, गोमती, घाघरा, रामगंगा, सोन और यमुना अवस्थित हैं, जिसके 38 जनपद बारम्बार बाढ़ से प्रभावित होते रहते हैं।

बाढ़ नियन्त्रण की निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रमुख निष्कर्षों की चर्चा नीचे की गई है:

- वित्तीय प्रबन्धन अपर्याप्त था क्योंकि ₹ 3938.11 करोड़ के बजटीय प्रावधान के सापेक्ष मात्र ₹ 2,452.17 करोड़ (62 प्रतिशत) व्यय किया गया था जबकि ₹ 1,485.94 करोड़ (38 प्रतिशत) समर्पित किया गया था।

(प्रस्तर 2.1.7.2)

- उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आवश्यक दीर्घकालिक घाटी—वार एंव क्षेत्र—वार मास्टर—प्लान नहीं बनाये गये थे। भारत सरकार के राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, केन्द्रीय जल आयोग; एवं योजना आयोग द्वारा दीर्घ अवधि हेतु सुझाए गए विभिन्न संरचनात्मक एंव गैर—संरचनात्मक बाढ़ नियन्त्रण उपायों को लागू नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 2.1.8, 2.1.8.1 एवं 2.1.8.2)

- परियोजनाओं का क्रियान्वयन मुख्यतः कटाव निरोधक कार्यों तक ही सीमित था। दीर्घकालिक समाधान के लिए विस्तृत अध्ययन एवं समेकित हाइड्रोलाजिकल एवं मार्फोलाजिकल सर्वे किये बिना तत्काल राहत देने के लिये तदर्थ आधार पर कटाव निरोधक कार्य ही नियोजित किये गये थे। परिणामस्वरूप, कटाव निरोधक कार्य उसी/समीपवर्ती स्थलों पर बार—बार किये गये थे।

(प्रस्तर 2.1.8.4)

- वर्ष 2009—13 की अवधि में, राज्य को बाढ़ के कारण ₹ 117.87 करोड़ से ₹ 3,259.53 करोड़ की हानि/क्षति हुई।

(प्रस्तर 2.1.8.5)

- स्वीकृत 805 परियोजनाओं में से मात्र 341 परियोजनायें (42 प्रतिशत) ही प्रारम्भ की गयी थीं। चयनित 11 जनपदों में स्वीकृत परियोजनाओं में से 69 प्रतिशत परियोजनायें स्वीकृति की तिथि से 11 वर्षों की अवधि तक अपूर्ण थीं।

(प्रस्तर 2.1.10.1 एवं 2.1.10.2)

- बाढ़ प्रबन्धन विभाग द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों को विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान कर नई तकनीकों को प्रयुक्त करने हेतु क्षमता का विकास नहीं किया था; एवं

(प्रस्तर 2.1.14)

- अनुश्रवण की प्रणाली अपर्याप्त थी तथा बाढ़ प्रबन्धन कार्यों के क्रियान्वयन के अनुश्रवण करने में असमर्थ थी।

(प्रस्तर 2.1.16)

1.2 समादेश क्षेत्र विकास कार्यक्रम—शारदा सहायक

समादेश क्षेत्र विकास कार्यक्रम, भारत सरकार द्वारा सृजित एवं प्रयुक्त सिंचाई क्षमता के अन्तर को कम करके कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाकर कृषकों के सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन हेतु प्रारम्भ (1974) किया गया था जिसे फरवरी 2004 में पुनर्संगठित कर इसका नाम 'समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम' (प्रक्षेत्र कार्यक्रम) कर दिया गया। वर्तमान में, प्रक्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत दो समादेश क्षेत्र राम गंगा एवं शारदा सहायक प्रदेश में संचालित हैं। इनमें से शारदा सहायक की निष्पादन लेखापरीक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने हेतु की गयी।

शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये मुख्य लेखापरीक्षा परिणाम निम्नवत थे:

- 20 प्रतिशत के मानक की तुलना में प्रक्षेत्र विकास कार्य (प्रक्षेत्र कार्य) पर व्यय के सापेक्ष स्थापना व्यय लगभग सौ प्रतिशत रहा।

(प्रस्तर 2.2.2.2)

- सतह एवं भूगर्भ जल के दोहरे प्रयोग एवं लघु सिंचाई टैंक पुनःस्थापना संबंधी योजना नहीं बनाई गयी।

(प्रस्तर 2.2.3.2)

- निर्मित सम्पत्ति के अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु प्राविधान न किये जाने से 24,525.52 किमी कच्ची गूल, 4,202.34 किमी पक्की गूल एवं 2,723.06 किमी क्षेत्र ड्रेन्स क्षतिग्रस्त हो गयीं जिसकी मरम्मत हेतु ₹ 489.26 करोड़ की आवश्यकता थी।

(प्रस्तर 2.2.4.4)

- शारदा सहायक नहर प्रणाली में परिकल्पित क्षमता के सापेक्ष सिंचाई हेतु 60 प्रतिशत कम जल उपलब्ध था।

(प्रस्तर 2.2.4.10)

- कार्यक्रम के उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए क्योंकि वर्ष 2009–14 की अवधि में समादेश क्षेत्र की दो मुख्य नहर परियोजनाओं में सृजित (32.87 लाख हेक्टेयर) एवं उपभोगित (9.10 लाख हेक्टेयर) सिंचन क्षमता में 72 प्रतिशत (23.77 लाख हेक्टेयर) का अन्तर था जिससे कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि एवं कृषकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के प्रत्याशित उन्नयन की संभावना क्षीण हुई।

(प्रस्तर 2.2.5)

1.3 राज्य कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद एवं मेरठ

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद एवं सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ की स्थापना लोगों को शिक्षित करने, अनुसंधान कार्य को सम्पादित तथा फसल उपज के अंतराल को कम करने के लिये कृषि प्रौद्योगिकी का विकास करने एवं केन्द्रीय तकनीकी हस्तक्षेप द्वारा कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से की गयी थी।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद तथा सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ की 2009–14 की अवधि की निष्पादन लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ प्रकाश में आयीँ:

- यद्यपि, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद तथा सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा अवधि 2009–14 के मध्य ₹ 963.33 करोड़ का व्यय किया गया था परन्तु दोनों ही विश्वविद्यालयों द्वारा न तो मुख्य रोकड़ बही का रख—रखाव किया गया था और न ही अवशेषों का समाधान बैंक से किया गया था। नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा 2011–14 एवं सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा 2013–14 के वार्षिक लेखे भी नहीं बनाये गये थे।

(प्रस्तर 2.3.7 एवं 2.3.14)

- नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के चार घटक कालोजों में चार पाठ्यक्रम कुलाधिपति के अपेक्षित अनुमोदन के बगैर ही संचालित हो रहे थे।

(प्रस्तर 2.3.8.1)

- नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद तथा सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में शैक्षणिक स्टाफ की कमी के कारण 2009–14 की अवधि में शिक्षण कार्य प्रभावित रहा। नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में प्रवेश क्षमता की तुलना में छात्रों का नामांकन कम हुआ था एवं ड्राप—आउट का प्रतिशत अधिक था। अवधि 2009–14 में, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में 95 प्रतिशत एवं सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में 92 प्रतिशत छात्रों को सेवायोजन प्राप्त नहीं हुआ था।

(प्रस्तर 2.3.8.2, 2.3.8.3, 2.3.8.4, 2.3.8.5, 2.3.15.1 एवं 2.3.15.4)

- मार्च 2014 तक दोनों ही विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में परियोजनायें अपूर्ण थीं। कृषि अनुसंधान केन्द्र, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में कोई भी अनुसंधान गतिविधियाँ नहीं हुई थीं। सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में पशु अनुसंधान परियोजना मध्य में ही बन्द कर दी गयी थी।

(प्रस्तर 2.3.9.1, 2.3.9.3, 2.3.16.1 एवं 2.3.16.2)

- अधिसूचित प्रजाति के अनेक अभिजनक एवं आधारीय बीज उत्पादन में नहीं थे। उन्नत प्रजाति के कृषि बीज बड़ी संख्या में न ही अधिसूचित और न ही पेटेन्ट किये गये थे। बीजों का विक्रय अनाज के रूप में करने के परिणामस्वरूप ₹ 2.57 करोड़ की हानि हुई थी।

(प्रस्तर 2.3.9.4, 2.3.9.5, 2.3.16.3 एवं 2.3.16.4)

- नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में सामुदायिक रेडियो स्टेशन क्रियाशील नहीं था तथा मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशालाएं, मोबाइल डायग्नोस्टिक—सह—प्रदर्शनी इकाई और जैव नियन्त्रण इकाई दोनों विश्वविद्यालयों में क्रियाशील नहीं थीं।

(प्रस्तर 2.3.10.3, 2.3.10.4, 2.3.10.5, 2.3.17.3 एवं 2.3.17.4)

1.4 संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा एवं निधि प्रबंधन

चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रत्येक वर्ष संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा आयोजित की जाती है तथा कुलाधिपति द्वारा राज्य के एक विश्वविद्यालय को नामांकित किया जाता है और शासन परीक्षा आयोजित कराने के लिए चयनित विश्वविद्यालय को अंगीकृत किये जाने वाली प्रक्रिया को रेखांकित करता है। शासन द्वारा वर्ष 1998 में संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा निधि नियमावली बनायी गई और अभ्यर्थियों से वसूल किये गये शुल्क की बचतों से निधि बनायी जानी थी। विगत पाँच वर्षों की संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा की समीक्षा में पाया गया:

- नमूना—जाँच के लिए चयनित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा से सम्बन्धित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये। इसी प्रकार, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा निधि के रख—रखाव एवं विश्वविद्यालयों के चयन से सम्बन्धित अभिलेखों को गोपनीयता के आधार पर देने से मना कर दिया गया था। 30 प्रतिशत लेखापरीक्षा पृच्छायें भी अनुत्तरित थीं।

(प्रस्तर 2.4.1.4)

- संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा निधि में धनराशि (₹150.90 लाख) स्थानान्तरित न करने के मामले पाये गये थे तथा ₹ 50.99 लाख का व्यय परीक्षा से इतर क्रियाकलापों पर किया गया था। ₹ 7.59 लाख के मानदेयों का भुगतान अपात्र कर्मचारियों को होली एवं दीपावली जैसे अवसरों पर भी किया गया था। विश्वविद्यालयों ने मानदेय का भुगतान निर्धारित सीमा से ₹ 17.10 लाख अधिक किया था। विश्वविद्यालयों द्वारा विवरण पुस्तिका की बिक्री पर अतिरिक्त प्रभार लिए जाने के मामले भी पाये गये थे।

(प्रस्तर 2.4.2.1 एवं 2.4.2.2(अ))

- वर्ष 2013 की संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा में 540 अपात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई थी। वर्ष 2011 में संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा की बायोमेट्रिक प्रणाली क्रियान्वित नहीं की गई थी तथा समस्त गोपनीय एवं परीक्षा से सम्बन्धित अभिलेख परीक्षा परिणाम की घोषणा होने के छः माह के अन्दर ही समाप्त कर दिये गये थे।

(प्रस्तर 2.4.2.2 (ब), (स) एवं 2.4.2.3(अ))

- पंजीकरण एवं जमानत शुल्क से सम्बन्धित अभिलेखों का रख-रखाव अपर्याप्त था। अभिलेखों के अभाव में अध्यार्थियों से वसूल/वापस की गई धनराशि तथा इसके उपभोग की जाँच नहीं की जा सकी।

(प्रस्तर 2.4.2.3(स))

1.5 लैपटाप एवं टैबलेट: क्रय एवं विद्यार्थियों को निःशुल्क वितरण

तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन ने विद्यार्थियों को निःशुल्क लैपटाप एवं टैबलेट वितरण का निर्णय लिया था (मार्च 2012)। लैपटाप ऐसे विद्यार्थियों को वितरित किये जाने थे जिन्होंने वर्ष 2012 में 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की थी तथा उच्च शिक्षा में अध्ययनरत थे। टैबलेट ऐसे विद्यार्थियों को वितरित किये जाने थे, जिन्होंने वर्ष 2012 में कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण की थी तथा कक्षा 11 अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों अथवा पालिटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत थे जिनके पाठ्यक्रम में प्रवेश की न्यूनतम अहर्ता कक्षा 10 उत्तीर्ण थी। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयीः

- शासन द्वारा धनराशियों का अधिक प्रावधान किया गया था। 2012–14 की अवधि में ₹ 2,020.85 करोड़ की धनराशि व्यपगत हो गई थी और ₹ 598.33 करोड़ वैयक्तिक लेखा खाता में अव्ययित पड़े हुये थे।

(प्रस्तर: 2.5.6.1 एवं 2.5.6.3)

- पर्याप्त बजट प्राविधान के बावजूद कक्षा 10 उत्तीर्ण विद्यार्थी टैबलेट के अभीष्ट लाभ से वंचित थे। 26.62 लाख टैबलेट की क्रय प्रक्रिया पर ₹ 60.05 लाख का निष्फल व्यय किया गया था।

(प्रस्तर 2.5.6.2)

- प्रशासकीय व्यय मद के अन्तर्गत अलीगढ़, इलाहाबाद तथा बॉदा जनपदों में लैपटाप वितरण समारोह माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था, जहाँ निर्धारित सीमा से ₹ 2.97 करोड़ का अधिक व्यय किया गया था। प्रशासकीय व्यय शीर्ष के अन्तर्गत छ: जनपदों में ₹ 6.25 करोड़ की देयता सृजित की गयी थी।

(प्रस्तर: 2.5.6.4 एवं 2.5.6.5)

- आकलित 18.90 लाख कक्षा 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के सापेक्ष मात्र 14.81 लाख लैपटाप क्रय किये गये थे तथा मात्र 14.35 लाख लैपटाप ही वितरित हुए थे जिसके परिणामस्वरूप 4.55 लाख पात्र विद्यार्थी लैपटाप के लाभ से वंचित रहे।

(प्रस्तर: 2.5.6.6(अ))

- संयुक्त भौतिक सत्यापन में चार चयनित जनपदों (अलीगढ़, आजमगढ़, बिजनौर तथा मुरादाबाद) में ₹ 41 लाख के 215 लैपटाप कम पाये गये थे एवं जनपद इलाहाबाद में 52 लैपटाप (₹ 9.91 लाख) चोरी अथवा गायब पाए गये।

(प्रस्तर: 2.5.6.6(ब))

- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा अथवा तकनीकी शिक्षा और संस्थाओं के प्रमुखों द्वारा चयनित 15 जनपदों में से किसी भी जनपद में लैपटाप वितरण के पश्चात् सत्यापन नहीं किया गया था तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा भी चयनित पाँच जनपदों में सत्यापन नहीं किया गया था।

(प्रस्तर: 2.5.6.7)

- राज्य स्तरीय वेब मॉनीटरिंग प्रणाली का इष्टतम उपयोग नहीं किया जा रहा था। वितरित लैपटाप के उपयोग का आकलन एवं सुनिश्चितता की प्रणाली कमज़ोर थी तथा इसका अनुपालन उनके द्वारा नहीं किया जा रहा था जो इसके लिये उत्तरदायी थे।

(प्रस्तर 2.5.7)

1.6 लेबर सेस: आकलन, लेवी, संग्रह, जमा एवं उपयोग

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नवम्बर 2009 में प्रमुख सचिव, श्रम, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था जिसमें 11 अन्य सदस्य थे। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड उपकर के आकलन, लेवी, संग्रह और उपयोग के लिए, श्रमिक नियोक्ताओं के पंजीकरण एवं श्रमिक पंजीकरण के लिये उत्तरदायी था। सम्प्रेक्षा में देखा गया कि:

- स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं पर निधि का अल्प उपयोग किये जाने के कारण ₹ 1,157.87 करोड़ की राशि (मार्च 2014) दो बैंक खातों में संचित थी। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड ने वर्ष 2009–14 की अवधि के प्राप्ति एवं भुगतान खाते, आय एवं व्यय खाते, बैलेंस शीट एवं रोकड़ बही भी नहीं बनाये थे। बैंकों से अवशेषों का आवधिक मिलान भी नहीं किया गया था जिससे अवशेष असत्यापित रहा।

(प्रस्तर 2.6.6)

- विभाग के पास न कोई संस्थागत तन्त्र था जिससे वह संस्थाओं के साथ बातचीत/समन्वय स्थापित कर सके और न ही निर्माण स्थलों से सम्बन्धित परितुलित जानकारी/सुदृढ़ डेटाबेस था। इसके द्वारा आवश्यक सर्वेक्षण, अध्ययन आदि भी नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 2.6.7.1)

- आठ जिलों की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2009–14 की अवधि में केवल 378 निरीक्षण किये गये थे और प्रत्येक निरीक्षक के लिये निरीक्षण किए जाने हेतु न तो कोई समय सारणी बनाई गई थी और न ही कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

(प्रस्तर 2.6.8)

- नमूना जाँच आठ जिलों में पंजीकृत 12,514 नियोक्ताओं में से उपकर अधिनियम की धारा 5 के अनुसार मात्र कानपुर जिले में 18 आकलन आदेश निर्गत किये गये थे। शेष जिलों में आकलन आदेश निर्गत नहीं किये गये थे।

(प्रस्तर 2.6.9.1)

- अवधि 2009–14 के मध्य, श्रम उपकर का संग्रह मात्र ₹ 1,140 करोड़ था। निर्माण स्थल, श्रमिकों के नियोक्ताओं, श्रमिकों और निर्माण लागत के बारे में व्यापक सूचना एकत्र एवं परितुलित करने हेतु एक व्यापक तन्त्र के अभाव में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड सम्पूर्ण उपकर के एकत्रीकरण एवं उसके सापेक्ष प्राप्तियों से अनभिज्ञ रहा।

(प्रस्तर 2.6.9.2)

2. अनुपालन लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण टिप्पणी

लेखापरीक्षा में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेष कमियाँ पायी गयीं जो राज्य सरकार की प्रभावकारिता को प्रभावित करती हैं। अनुपालन लेखापरीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों को भी प्रतिवेदित किया गया है। महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ निम्न से सम्बन्धित हैं:

- धोखाधड़ी एवं उद्धरित धोखाधड़ी के प्रकरण;
- नियमों और विनियमनों का अनुपालन न किया जाना;
- औचित्य लेखापरीक्षा और पर्याप्त औचित्य के बिना व्यय किए जाने के प्रकरण; एवं
- निरीक्षण एवं प्रशासनिक नियन्त्रण की विफलता

2.1 धोखाधड़ी एवं उद्धरित धोखाधड़ी के प्रकरण

कुछ शासकीय विभागों एवं उनके क्षेत्रीय पदाधिकारियों के वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा की नमूना-जाँच में कपटपूर्ण भुगतान का प्रकरण प्रकाश में आया जिसकी चर्चा अधोलिखित प्रस्तर में की गयी है:

वित्तीय नियमानुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का अनुपालन न करने के कारण वेतन एवं वेतन के बकाया के रूप में ₹ 21.93 लाख का कपटपूर्ण संवितरण।

(प्रस्तर 3.1.1)

2.2 नियमों एवं विनियमनों का अनुपालन न किया जाना

उचित वित्तीय प्रशासन और वित्तीय नियन्त्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमनों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आदेश के अनुरूप हो। यह न केवल अनियमितताएँ, दुर्विनियोग एवं धोखाधड़ी को रोकता है बल्कि वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के लिए भी सहायक होता है। नियमों और विनियमनों का अनुपालन न किये जाने के कुछ लेखापरीक्षा निष्कर्ष का उल्लेख नीचे किया जा रहा है:

वित्तीय नियमों एवं शासनादेशों की अवहेलना के कारण अक्टूबर 2014 तक शासन को प्रतिशतता प्रभार के अधिरोपण में ₹ 4.36 करोड़ की हानि।

(प्रस्तर 3.2.3)

गैर सिंचाई कार्यों हेतु जल आपूर्ति के लिए जल नीति में निर्धारित प्रावधान के अनुसार अनुबन्ध का क्रियान्वयन नहीं किये जाने के कारण शासन को ₹ 42.28 करोड़ की हानि।

(प्रस्तर 3.2.5)

2.3 औचित्य लेखापरीक्षा एवं पर्याप्त औचित्य के बिना व्यय किए जाने के प्रकरण

लोक निधि से प्राधिकृत होने वाले व्यय औचित्य एवं व्ययों की प्रभावकारिता के सिद्धान्तों द्वारा निर्देशित होते हैं। प्राधिकारी जिन्हें व्यय के लिए प्राधिकृत किया जाता है, उससे यह अपेक्षित है कि वह धन का व्यय उतनी ही सतर्कता के साथ करे जितना कि एक सामान्य व्यक्ति अपने धन के व्यय में करता है। लेखापरीक्षा जाँच में अनौचित्यपूर्ण और अधिक व्यय के कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम नीचे दिये गये हैं:

5,000 किलोवाट पर मांग प्रभार के रूप में ₹ 2.10 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया जो कि अन्यथा उसी अवधि हेतु ₹ 53 लाख होता।

(प्रस्तर 3.3.3)

बिना स्वीकार्य कारण के प्रतिधारक दीवार के निर्माण के फलस्वरूप ₹ 17.17 करोड़ का निर्धक व्यय।

(प्रस्तर 3.3.4)

2.4 निरीक्षण एवं प्रशासनिक नियंत्रण की विफलता

सरकार का यह कर्तव्य है कि वह लोगों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारे जिसके लिये वह स्वास्थ्य, शिक्षा, अवस्थापनाओं के विकास एवं उच्चीकरण तथा लोक सेवा के क्षेत्र में कुछ निश्चित उद्देश्यों को पूर्ण करने की दिशा में कार्य करे। यद्यपि कि, लेखापरीक्षा के संज्ञान में ऐसे प्रकरण आये जिसमें सरकार द्वारा समाज के लाभ के लिये लोक सम्पत्तियों को निर्मित करने हेतु दी गयी धनराशि का उपभोग नहीं किया जा सका/अवरुद्ध थी एवं/अथवा प्रशासनिक नियंत्रण की कमी और असावधानी तथा विभिन्न स्तरों पर ठोस निर्णयों के अभाव के कारण व्यय अलाभकारी/अनुत्पादक सिद्ध हुआ। कुछ प्रकरण नीचे दिये जा रहे हैं:

वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत, भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त किये बिना, निचली रोहिणी बांध का निर्माण कार्य शुरू किये जाने तथा तालमेल के अभाव के कारण ₹ 157.80 करोड़ का व्यय अलाभकारी था।

(प्रस्तर 3.4.8)

बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत जनपद बांदा एवं हमीरपुर में 2010–11 से 2012–13 के मध्य निर्मित रिचार्ज पिटों की व्यवहार्यता के आकलन में विलम्ब के कारण, निर्माण पर किया गया ₹ 3.03 करोड़ का व्यय निष्फल था।

(प्रस्तर 3.4.9)

स्वीकृति के उपरान्त छ: वर्षों के व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी सेतु, इसके पहुँच मार्गों के साथ बाईपास मार्ग का निर्माण कार्य के समक्रमिक न होने एवं अपूर्ण रहने के कारण, इन पर किया गया व्यय ₹ 121.34 करोड़ अलाभकारी रहा।

(प्रस्तर 3.4.12)